न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 352/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 44/2026, आरक्षी केन्द्र सिणधरी
CNR : RJBA010009762026

01. विनोद पुत्र घासीराम, उम्र 42 वर्ष,
02. प्रिन्स पुत्र विनोद, उम्र 19 वर्ष,
निवासियान सिणधरी चारणान, पुलिस थाना सिणधरी, जिला बालोतरा ।

– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरुद्ध

राजस्थान राज्य ।

– अप्रार्थी

द्वितीय जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 44/2026, पुलिस थाना सिणधरी, अपराध अन्तर्गत धारा 108, 49, 308(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–

1. श्री अमराराम चौधरी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से ।
2. श्री नेमाराम चौधरी, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– <u>आदेश</u> ––

दिनांक : 09.07.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर पत्रावली तलब की गयी । पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा मृतक को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किए जाने की कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है ।

3. यह भी तर्क दिया कि वास्तविकता यह है कि मृतक ने प्रार्थीगण से 20,000/– रुपये उधार लिए थे जो राशि मृतक द्वारा समय पर नहीं लौटाए जाने पर प्रार्थीगण ने मृतक को राशि लौटाए जाने हेतु कहा इस कारण से मृतक ने आत्महत्या की है ।
4. यह भी तर्क दिया कि प्रार्थीगण दिनांक 26.03.2026 से अभिरक्षा में हैं । अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है । प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।
5. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने मृतक को रुपये लौटाने हेतु प्रताडित कर मानसिक एवं शारीरिक यातनाएँ दीं एवं उसे धमकियाँ दी जाने लगीं । प्रार्थीगण ने मृतक द्वारा 20,000/– रुपये उधार लिए जाने की संस्वीकृति करवा के झूँठा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया इस कारण से मृतक ने परेशान होकर आत्महत्या की है । प्रार्थीगण के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।
6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नं.	धारा	थाना	वर्तमान स्थिति
–	–	–	–	–

7. उभय पक्षकारान की ओर से दिये गये तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थीगण की ओर से पूर्व में इस न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था जो जमानत आवेदन आरोप पत्र प्रस्तुति से पूर्व अस्वीकार कर खारिज किया गया था तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5110/2026 पेश किया था जो जमानत आवेदन दिनांक 20.05.2026 को आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद पुनः पेश करने की स्वतंत्रता के साथ नोट–प्रेस में खारिज किया गया था । तत्पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुति के पश्चात् प्रार्थीगण की ओर से यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है । परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उसने यह उल्लेख किया है कि मृतक ने प्रार्थीगण से 20,000/– उधार लिए थे जो रुपये मृतक द्वारा नहीं लौटाए जाने पर उसे निरंतर प्रताडित किया गया एवं धमकियाँ दी जाने लगीं जिससे व मृतक का वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल किया जिससे प्रताडित होकर मृतक ने आत्महत्या की है । प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थीगण एवं परिवादी के मध्य रुपयों के लेनदेन का विवाद जाहिर होता है । अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र पेश हो चुका है । प्रकरण के विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है । इन तमाम तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

8. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय** जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उनकी उपस्थिति बाबत् न्यायालय के सन्तोषप्रद पचास हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो मौतबीर जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाएं, तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

9. आदेश आज दिनांक 09.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by HITESH MANGNANI
Location: Balotra
Date: 2026.07.10 15:32:36 +0530